

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,  
कार्यपालक पदाधिकारी, मोतिहारी / रक्सौल / सुगौली /  
अरेराज / मेहसी / चकिया / केसरिया / पकड़ीदयाल / ढाका  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

विषय:-

चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत बिहार निःशक्तता पेंशन योजना सामान्य घटक में पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु चतुर्थ किस्त की कुल 3500000 (पैतीस लाख)रु० मात्र का उपावंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं 7729 दिनांक-26.07.2012 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश सं०-996 दिनांक 14.05.13 के आलोक में पेंशनधारियों के पेंशन के नगद भुगतान हेतु निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के अवांटन आदेश सं०-08 दिनांक-17.05.13 द्वारा प्राप्त अवांटन में से प्रखंडों/नगर निकायों को उपावंटन के पश्चात अवशेष राशि 4,11,400.00 एवं निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के अवांटन आदेश सं० 42 दिनांक-01.07.2013 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त आवांटन 63,32,000.00(तिरसठ लाख बतीस हजार) एवं निदेशक सामाजिक सुरक्षा बिहार पटना के आवांटन आदेश ज्ञापक 112 दिनांक 15.01.2014 द्वारा प्राप्त आवांटन 100000 (एक लाख रु०) कुल 15100000 (एक करोड़ एकावन लाख)रु० के उपावंटन के पश्चात निदेशक सामाजिक सुरक्षा बिहार पटना के पत्रांक 128 दिनांक 26.02.2014 द्वारा प्राप्त 3500000रु० (पैतीस लाख ) रु० मात्र निम्नांकित विवरणी के अनुसार उपावंटित किया जाता है।

क्रमांक	प्रखंड/नगर निकायों का नाम	प्रथम आवांटन	द्वितीय आवांटन	तृतीय आवांटन	चतुर्थ आवांटन	कुल योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोतिहारी	861300	545600	5000	164000	1575900	
2	मोतिहारी नगर परिषद		233000	2000	60000	295000	
3	बंजरिया	582300	488200	2600	104000	1177100	
4	तुरकौलिया	520200	396800	4200	130000	1051200	
5	सुगौली	339300	221200	4200	130000	694700	
6	सुगौली नगर पंचायत		55000	1000	28000	84000	
7	पीपराकोठी	326700	217800	1200	48000	593700	
8	कोटवा	313200	308800	4200	128000	754200	
9	ढाका	380700	328800	5000	186000	900500	
10	ढाका नगर पंचायत		80000	800	32000	112800	
11	घोड़ासहन	355500	287000	2800	112000	757300	
12	बनकटवा	56700	37800	2000	80000	176500	
13	चिरैया	449100	359000	5000	184000	997100	
14	चकिया	378000	242200	4000	144000	768200	
15	चकिया नगर पंचायत		60000	800	16000	76800	
16	मेहसी	70200	37800	3000	104000	215000	
17	मेहसी नगर पंचायत		9000	1000	24000	34000	
18	कल्याणपुर	141300	94200	5000	192000	432500	
19	केसरिया	79200	42800	3400	138000	263400	
20	केसरिया नगर पंचायत		10000	1000	16000	27000	
21	पताही	119700	79800	4000	120000	323500	

*(Handwritten Signature)*

22	पकडीदयाल	36000	24000	2000	72000	134000
23	पकडीदयाल नगर पंच		0	600	24000	24600
24	फेनहारा	238500	209000	2000	48000	497500
25	तेतरिया	97200	64800	2000	72000	236000
26	मधुबन	311400	257600	3000	104000	676000
27	अरेराज	411300	260200	3000	112000	786500
28	अरेराज नगर पंचायत		64000	800	16000	80800
29	संग्रामपुर	183600	122400	3000	112000	421000
30	हरसिद्धि	283500	189000	4000	152000	628500
31	पहाडपुर	249300	166200	3200	128000	546700
32	रक्सौल	344700	224800	3000	104000	676500
33	रक्सौल नगर पंचायत		55000	800	32000	87800
34	रामगढ़वा	279000	236000	4000	128000	647000
35	छोडादानो	666900	564600	3000	120000	1354500
36	आदापुर	181800	171000	3400	136000	492200
	<b>कुल योग</b>	<b>8256600</b>	<b>6743400</b>	<b>100000</b>	<b>3500000</b>	<b>18600000</b>
						(पैंतीस लाख रु०)

2. उपावटित राशि माँग सं०-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन उप शीर्ष-0104-बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा विपत्र कोड-P-2235601020104 तथा स्कीम कोड-WEL-5503 से विकलनीय होगा।

3. जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4. जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद/नगर पंचायत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

5. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद/नगर पंचायत कोषागार से राशि निकासी कर शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

6. जिस मद में राशि आवंटित की गयी है उसी मद में खर्च किया जायेगा।

7. सभी कार्यपालक पदाधिकारी प्रथम किरत के उपावटन की नगर परिषद/नगर पंचायत के हिस्से की राशि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त करेंगे।

8. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी मासिक प्रतिवेदन के रूप में हर माह अद्यतन पेंशनधारी की संख्या, भुगतान की स्थिति तथा लंबित भुगतान स्थिति का प्रतिवेदन प्रत्येक माह के तीसरी तारीख तक अवश्य भेजे।

उपावटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीधे महालेखाकार बिहार को भेजते हुए उसकी प्रति सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।


उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

*(Handwritten Signature)*


जिला पदाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक.....७५.....सा०सु० दिनांक.....५/३/१५.....  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- सश्री अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
५/३/१५

जिला पदाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक.....७५.....सा०सु० दिनांक.....५/३/१५.....  
प्रतिलिपि:- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
५/३/१५

जिला पदाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।